रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042025-262293 CG-DL-E-04042025-262293

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1596]

No. 1596]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 4, 2025/चैत्र 14, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 4, 2025/CHAITRA 14, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2025

सं. 27/2025

(आय-कर)

का.आ. 1615(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 197क की उपधारा (1च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि धारा 80गगक की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट ऐसी रकम के संदाय पर अधिनियम की धारा 194ड.ड. के अधीन कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी, जो किसी ऐसे निर्धारिती द्वारा जो व्यष्टिक है, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात निकाली गई है।

[फा. सं. 370142/13/2025-टीपीएल]

स्रबेंद् ठाकुर, अवर सचिव, (कर नीति और विधान)

2372 GI/2025 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2025

No. 27/2025

(INCOME-TAX)

S.O. 1615(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1F) of section 197A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies that no deduction of tax shall be made under section 194EE of the Act on payment of amount referred to in clause (a) of sub-section (2) of section 80CCA, which is withdrawn by an assessee being an individual, on or after the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 370142/13/2025-TPL]

SURBENDU THAKUR, Under Secy. (Tax Policy and Legislation)